निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमो, जयपुर

व—15(51) आरपीए/जन/PDF/2020/2788

खुली निविदा सूचना

दिनांक:-20.3.2।

www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है :-राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित Three Face Climbing Wall में निम्नलिखित सामान के निविदायें आमन्त्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एव

निविदा					×2.7.
ा शतः— । शतः—	TITOTITO	Ed Climbing at Time Wall	X/211	राजस्थान पुलिस अकादमी रिशत	X:VI. GIACI
			(1) A B B S.	2 75	अनुमानित जिं
(3750 /-)	ਧ _코	संबंध में घोषणा	स्वोकृति	अभानत राश रू.	
			ों के 200.00 क	निविदा फार्म मूल्य	

शुल्क (बैंकर चैंक / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिख निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय की सामान्य शाखा से निर्धारित

प्राप्त निविदायें उसी दिनोंक 26.03.2021 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 26.03.2021 को दोपहर एक बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय की सामान्य शाखा में जमा करायी जा सकती हैं।

w अनुसार बिंड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना ॲनिवार्य है। वित्त विभाग के परिषत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त /जीएण्डटी-एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के

4

5 निवैदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रिटर्न एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। जो निविदाऐं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पुर विचार नहीं किया जावेगा।

6

निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. नियम के अनुसार मान्य होगी। कृय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड में सफल

अतिरिक्त महानिदशक राजस्थान पुलिस अकादमी एवं निदेशक,

जयपुर ।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

निदेशक सूचना एवं जेन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें। समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के डेकेदारों को सूचित करने

ठेकेदारों को सूचित करने

W सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोड्ल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।

लेखाधिकारी / प्रोग्रामर राज्स्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

() IFT (www.sppp.rajasthan.gov.in) निबिदा प्रारूप एवं शतों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें। कम्प्यूटर, आर.पो.ए जयपुर एवं www.rpa.rajasthan.gov.in 9 भेजकर लेख डो उपरोक्त वेबसाइट निविदा पर मय sppp खुली पोटेल

0 प्रभारी स्टोर/कैशियर/नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान पुलिस अकादमी एवं निदेशक जयपुर ।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान अकादमां, जयपुर

क्रमाक:- व-15(57)आरपीए/जन/केन्टीन/20,

दिनाक:-

निविदा प्रारूप (देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 26.03.2021 समय 11.00 बजे तक। निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 26.03.2021 सांयः 01.00 बजे।

)	
	राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित Three Face Cl करने हेतु निविदा।
	Climbing Wall हेतु Climbing का सामान क्रय

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.	बोलीदाता का :— पैन नं	।नावदा प्रश्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई—मेल एवं मोबाईल नंo
---------------------------	-----------------------	--

- किसकी सम्बोधित की गयी—निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 4. सन्दर्भ :-
- निविदा शुल्क की राशि रू 200/— बैंकर चैंक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं. के द्वारा जमा करा दी गई है।
- 6 शर्तों के हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं। दिनांक............ में वर्णित सभी शतों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या....
- कार्य /सामान का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।
- बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। निविदाएं तकनीकी बिड व वितीय बिड अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी
- कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
- 10. वित्तं विभागं के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्तं / जीएण्डटी—एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक देना अनिवार्य है। 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर
- इसके साथ जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण–पत्र संलग्न
- 11. विनिर्माता 'डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
- 12. निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.		2.		-		4.1.	서
Crash Pads	Climbing brush	Dynamic rope 50 tr.,9.8mm	Descender	Quick Draw	Screw Carabiner	Drill gun for Route Setting	Climbing Chalk Powder	Climbing Holds with L Bolt	Rocksport)	Chalk (Simond, Gipfel,	Madrock, Evolve0	Climbing Shoes (Simnod,		1 1 1	
05	04	02	05	10	10	01	5 kg	200	2,7 2	10 Bags	(5/2,6/3,7/3,8/6,9/6)	20 Pair		अनुमानित तादाद	
									20				सहित)	दर (जी.एस.टी.	Annexure 1

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम मय पूरा पता

टिप्पणी : निविदाओं को इन् शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते

समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए । बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिंड अलग—अलग मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिंडर की ही वित्तीय बिंड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिंड पर विचार

N अ) मृल विनिर्माता द्वारा निविदाऐ:-

साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे। एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी गया है, द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया

विभाग, (ii) बोलीदाता द्वारा /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में

करवानी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:—

मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिरवीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरण्डम प्राप्त होना चाहिए। (i) किसी भी आइट्म की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र

(11) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिष्टिवत की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है। राजस्थान लोक उपापन

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिरवीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्ड्रम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के

शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिंभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम करनों अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिरवीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिरवीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को

देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य

एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्ररतुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। 0.25 प्रतिशत के 3 (IA) राज्रस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपन्न निर्धारित बोली प्रपन्न शुल्क के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सृक्ष्म

गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा। विभागीय कमेटी द्वारा राज्र्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम् की उत्पादन एवं उत्पाद की दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिष्टिचत की जावेगी। (vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना ्राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में

सैम्पल(sample)-

 Ξ किया बालादाता द्वारा बोली जायेगा। 왕 साथ सैम्पल हस्ताक्षरित कपड़े 4 सील प्रस्तुत

(iii) विभागीय स्टेज बोली करने पर पर सैम्पल आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने सैम्पल उपरोकतानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे। मांग की जा सकेगी एवं पूर बोलीदाता को 4 कार्यालय र्स द्वारा हेतु सूचित किसी

बोलीदाता जाँच शुल्क जमा नहीं कराता है समिति र्णांच के मान्यता प्रदत प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में जाती है तो जाँच वस्तुओं के सैम्पल की जाँच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों बोली प्रतिभूति राशि में से जाँच शुल्क द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में उपापन (procurement)समिति चाहेगी शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन राशि काट ली जाएगी। 라 तो बोली किया जायेगा जो सैम्पल की बोलीदाता द्वारा जमा करवाई जमा कराया जायेगा। सूचना में विभागीय जाँच कराई उपापन

(i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता आंधेकारों को लिखित म निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा। गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में

बाध्य नहीं देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगा । किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे (11) सविदा के सबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म हो जाते एवं केताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए कर

जीएसटी/बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर शोधन प्रमाण–पत्र

अधिनियम् / बिक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसर

(ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के को रद्द कर दिया जावेगा। प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बिना निविदा वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिक्री कर शोधन

7 दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किसी

0

00 हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों दरें पृथक से स्पष्ट करें।

9 परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई परिसरों पर दी जायेगी। शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को गाड़ी भाड़ा या

10. के लिए विधि मान्य होगी। विधि मान्यता:- निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि

लिए

<u>-</u> निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के

2 जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रदद कर दिया जायेगा। रदद किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया निरीक्षण एवं परीक्षण :-करने के नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा। ्रवं परीक्षण :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित लिए किया जायेगा कि वे विनिदेशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप

<u>.</u> रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युवितयुक्त समयों पर प्रदायकर्ता / ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्त उचित दौरान

15 तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन परीक्षण प्रभार :-परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक

16. रद्द करना :-

- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाऐगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- आपूर्ति किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं सक्षम होगा। जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाहीं करने के लिए
- (iii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी सामानकी तात्कालिक आवश्यकता के बोलीदाती को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन
- निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन दिया जाएगा। कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर
- 18. बोली प्रतिभूति राशि :
- 1. बिंड सिक्यूरिटी का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2020 किया जावेगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति हेतु स्टॉम्प घोषणा प्रस्तुत की जायेगी। बोली प्रतिभूति घोषणा स्टॉम्प के बिना बोलियो पर विचार नही किया जायेगा।
- राजस्थान के सक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगो एवं इनसे रूगण उद्योगों को वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) की अधिसूचना दिनांक 19.11.2019 के अनुसार निर्धारित शपथ—पत्र प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छुट प्रदान की जायेगी। बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण —बयाना राशि को निम्निलिखित मामलों में जब्त कर लिया
- जावेगा
- प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है। निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व
- (2)जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
- (3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जुमा नहीं करता है।
- 19. करार एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति :--(4)जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत् आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने मे रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।
- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 3 प्रतिशत द्वारा वहन किया जावेगा) एक कुरार-पत्र जमा करानी। रूपये 1000, / - मूल्य के नॉन ज्सूडिशियल स्ट्रॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य प्रतिभृति
- (ii)सामानसम्पादन प्रतिभूति की अर्ध्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, सफल बोली लगाने स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाईटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त रवायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक सामानसम्पादन प्रतिभूति

मामले में सामानसम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी। घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग

(iii)यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी। उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिरवीकृति अथवा उद्योग

(vi)सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय प्रतिशत के बराबर होगी। पुनिर्माण बोर्ड के समक्ष लिम्बत है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 1

(1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी-

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक

(ii)डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा। यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर पत्र डिफेंस / सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई (iii) ्अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण

20. प्रतिभूति राशि का सम्पहरण : प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा :-

(ख)ज्ब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति/सामानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा (क)जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ग)प्रतिभूति निक्षेप को समप्हरण करने के मामले में युवितयुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

सुपदेगी अवधि :-(घ)सामानमें असफल रहने पर परिषद जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसर्क राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की

(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को सुविधानुसार कार्य/अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा । विभाग द्वारा आवश्यकता एव

(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम् मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने

22. परिसमापित नुकसानी :-परिनिर्धारित क्षतियों के साथ निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:--परिसमापित नुकसानी :-परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्निलिखित प्रतिशत्ता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको

(क) विहित सामानअवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।

- (T) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5
- (B) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।
- (ड.)यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सामानपूरा करने के लिए समय यदि सामानकरने में में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सामान पूर्ण होने की निर्धोरित तारीख के बाद करेगा।

तो सामानकी अवधि में वृद्धि पॅरिनिधृरित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी। उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से

24. 23. वसूली :-परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रदद की गई वस्तुओं /अनुबंध के लिए बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कृनून् के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक वसूली साधारण रूप से बिल में से की जांचेगी ं कम सप्लाई टूट फूट, किये ग्ये मालों की सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं

प्रदाय किये जाने वाले सामान की देरे आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

25

रिस्क एण्डे कोस्ट परचेज :- निविदादाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शतों निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा। उत्पन होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद

वितीय बिड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। डी.पी.एस.एम. जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र

29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

30. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके नहीं करेगा। किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet

ယ _____

32 सामानसंतोषजन्क नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा

33. बिंड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सिंहत होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार

34. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईट्म वाईज या इकजाई रेट आइटम्स वाईज दर अंकों किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। के आधार पर

ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना एव शब्दों में ध्यानपूर्वक् भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत त प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा अनुसार

(ख) विवादास्पद से 25 प्रतिशत

जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा। उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जा ें। जारता ने, जिन्न परक्षिण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया ज जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुकर्ता हों। अनुरूप हो। किया जायेगा

36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो ''पार्टनरशिप डीड'' की अनुप्रमाणित प्रति।

- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- $\widehat{\Xi}$ एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- 37. किसी भी निविदा/बिंड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार
- 38. निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
- 39 ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
- 40. निविदा प्रणाली RTPP Act – 2012, Rules – 2013 के अनुसार होगी।
- 42. करने के आशय से इस अधिनियम् के अधीन कोई त्रंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील तंग करने वाली अपीले या परिवाद:- जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा। या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे ज़ुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि बीस लाख उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित
- मैंने / हुमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्याननूर्वक पढ़ ली हैं। मैं / हम इनका निष्पादन करने के लिए प्रतिभूति निक्षेप/सामानसम्पादन प्रतिभूति:— सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 3 प्रतिशत अलग से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। बाध्य है।

(निविदा की समस्त शार्ते स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप) निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

24/24/2 विनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विकय/विपणन एजेण्ट मालो / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा मैं / हम / घोषणा करता हूँ/करते ÚN उनका / उनके / मैं / हम / बोनाफाइड STE मैंने / हमने

सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा। पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपद्धात किया जा यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

participating in a procurement process shall Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person

- (a) otherwise influence the procurement process. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or in exchange for an unfair advantage in procurement process or
- 0 (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or ththreatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process. procurement process.
- (8)
- disclose conflict of interest, if any; and
- Conflict of Interest: (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- 2 parties in a bidding process if, including but not limited to: A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more
- have controlling partners/shareholders in common; or
- 6 receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- 0.0 have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- 0 Procuring Entity regarding the bidding process; or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or
- 5 does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this participating as a Bidder, in more than one Bid; or Participation by a Bidder in more than one Bidder participates in more than one Bid in a bidding Bid will result in the process.
- the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the Services that are the subject of the Bid; or preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or
- å Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Declaration by the Bidder qualifications

Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012, that: Bids No. procurement of In relation to my/our Bid submitted to ... Dated I/We hereby declare under Section 7 of in response to their Notice Inviting

- I/We possess Procuring Entity. resources and competence required by the Bidding Document issued by the necessary professional, technical, financial and managerial the
- w N I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Biddingh Document. Union and the State Government or any local authority as specified in the
- 4 the foregoing reasons. business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have
- disqualified pursuant to debarment proceedings. commencement of this statements a procurement contract within a period of three years preceding the criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any procurement process, or not have been otherwise
- I/We do not have a conflict of interest as specified in the Bidding Document, which materially affects fair competition. Act, Rules and the

Date: Place:

Signature of bidder Name:

Designation:

Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

E	THE	747	The
Ailling an arrow	the designation and address of the Second Appellate Authority is	Signal Authority is	The designation and address of the First Annallate Anthony

u appear

Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to he before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Provided further that in case a Procuring Entity evaluated thae Technical Bids filed only by a Bidder who has participated in procurement Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal specific ground or grounds on which he feels aggrieved: the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the Authority, as specified in the Bidding Ducument within a period of ten days from Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision,

- (3) (2) from the date of the appeal. expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as
- in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the Firsst Appellate the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may Document in this behalf within fifteen days from the espiry of the period specified Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding

Appeal not to lie in certain cases

following matters, namely:-No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the

- A Determination of need of procurement;
- B
- 0 Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- Ð The decision of whether or not to enter into negotiations; Cancellation of a procurement process;
- (E)Applicability of the provisions of confidentiality

5 Form of Appeal

along with as many copies as there are respondents in the appeal. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form

- B any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if payment of fee.
- 0 registered post or authorized representative Appellate Authority, as the case may be, in person or through Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second

6 Fee for filing appeal

- A Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-
- (B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned

Procedure for disposal of appeal

- A and fix date of hearing. copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the
- (B) 9 On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- hear all the parties to appeal present before him; and
- relating to the matter. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof
- 0 copy of the parties to appeal free of cost Authority concerned shall pass an order in writing and provide the relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate After hearing the parties, perusal or inspection of documents and
- (d) State Public Procurement Portal. The order passed under sub-clause© above shall also be placed on the

(See rule 83)

appellant's signature

SSSSAnnexure D: additional conditions of contract

Correction of arithmetical errors

arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis: Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct

I. total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected: obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained

III. subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of

which case the amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall

If the Securing Declaration shall be expected errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of

Correction of arithmetical errors

(ii)prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract. quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the specified in the At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally Bidding Document may be increased or decreased by a

otherwise provided in the Conditions of Contract. circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures quantity specified in the Bidding Document due to

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be from the Supplier. supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the procured by

S of award (In case of procurement of Goods) Dividing quantities among more than one Bidder at time

and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured

transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair,

Bid is accepted.

Form of Bid-Securing Declaration

	To,		Alternative No.	0.	Date
			4)		

We, the undersigned, declare that:

Condition of Bid in the following cases namely Declaration We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the term and We understand that according to your conditions bids must be supported by a Bid-Securing

- (a) When we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) When we do not execute the agreement if any after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) When we fail to commence th/e agreement if any after placement of supply/work order within
- (b) When we do not seposit the performance secuurity within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules

paart thereof is required to be Forfeited by procuring entiwtey. process undertaken for a period not exceeding three yrars in case where the entire bid security or any In addition to above, the state Government shall debasr us from participating in any procurement

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

- (i) We are not the successful Bidder;
- (ii) the executiion of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case the are successfuk bidder;

(iii)thirty days after the expiration of our Bid.

- (iv) The cancellation of the procurement process; or
- The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawall is permitted

Corporate Seal	Dated on day of	Duly a+3authorized to sing the bid for and on bobots of	In the capacity of :	Name:	Signed:

Joint Venture that is submitting the bid.) (Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Deccuring must be sined in of all partners of the



वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग राजारथान सरकार



क्रमाक : एफ.2(1)विस / जीएवडटी-एसपीएफसी / 2017

जयपुर, दिनांक 23-12-20

पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक विड 2017 दिनांक 18.12.2020 हारा आरटीपीपी नियम, सिवयूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिंड सिवयूरिटी के संबंध में घोषणा विस्त विभाग की अधिस्त्रुचना क्रमांक एफ. 2(1)विस् / जीएण्डर्टी 2013 के नियम 42(2) में पांशोधन करते (पश्चिम्प्राप्टिक्र)

राजरधान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरवार्ज का भुगतान सुनिष्चित करावें। धारा ३ सपिटत अनुसूची के अनुष्छेद ४ के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50 /—र रूपये एटाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राष्ट्रि पर नियमानुसार ३० प्रतिशत सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार सरचार्ज देय है। अतः उपापन पंरथाओं के उपयोगार्थ बिंड सिक्यूरिटी के संबंध में में. घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त (Declaration) का मानक प्रारक्षप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की चूंकि उवत नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के खान प्र बिड सिक्यूरिटी के संबंध समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड लिए जाने बाले घोषणा पत्र

रालग्न- उपरोक्तानुसार

(विमर्ने) 1 45 (11 Start)

प्रतिनिर्धि निञ्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

स्तित, एाज्यपातः/प्रमुख सचित, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/एज्य

सिवंद / विशिष्ठ शासन सिवंद । डप् सिंघव, मुख्य सिंचव / निजी सिंघव, समस्त अति: मुख्य सिंचव / प्रमुख शासन सिंचव / शासन

राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।

सचिव, लोकायुवत सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

र्षाचेव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, शुक्रमेर ।

रजिस्ट्रार, राजस्थान जन्म न्यायाहाय जोधपुर / नायपुर ।

प्रधान महालेखाकार ए ए०ड ई राजस्थान ज्यपुर

समस्त संयुक्त शासन सिवंव/उप शासन सिवंव/सिवंवलय के समस्त अनुभाग/विभाग । प्रधान भहालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।

7.1. रिनरद्वार, राजस्थान सिवित सेवा अपीत् अधिकरण, जयपुर । समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / समागीय आयुक्त।

0

12 समस्त वित्तीय सलाहकाए/मुख्य लेखाधिकारी ।

समस्त कोषाधिकारी ।

समस्त जपापन संस्थाएं।

तकनीकी निदेशक विस्त विभाग को भेजकर लेख है परिपन्न को बिस्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर्षाने की व्यवस्था कराव

रक्षित पत्रावला।



